कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 183/ 2020 दिनांक: अगस्त, 31/2020

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के कुशल मार्गदर्शन व पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी कोतवाली के निर्देशन में दिनांक 30.08.2020 को थाना आदमपुर पुलिस शान्ति व्यवस्था व तलाश वांछित अभियुक्त व चेकिंग के दौरान गस्त करते हुए तेलियानाला घाट पहुचें तभी एक व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर अचानक पीछे मुड़कर भागने लगा। शक होने पर थाना आदमपुर पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम विजय यादव उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र कन्नड़ सरदार, निवासी-ए 3/138 गोला घाट मुकीमगंज, थाना-आदमपुर, वाराणसी बताया। जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा मय एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना आदमपुर पर मु0अ0सं0 87/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- विजय यादव पुत्र कन्नड़ सरदार निवासी ए 3/138 गोला घाट मुकिमगंज थाना आदमपुर वाराणसी उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- उ0नि0 राज कुमार चौकी प्रभारी मच्छोदरी, हे0का0 अनिल कुमार सिंह, का0 उमेश कन्नौजिया व का0 मुकेश कुमार यादव थाना आदमपुर वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्याः पीआरओ 184/ 2020 दिनांक: अगस्त, 31/2020

प्रेस नोट

थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा आज दिनांक 31.08.2020 को 02 अभियुक्त बिलेन्दर कुमार व विकास उराव गिरफ्तार, कब्जे से कुल 55 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बडागाँव के कुशल निर्देशन दिनांक 31/08/2020 को थाना बड़ागाँव पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम पतेर में सन्तोष सिंह के ईट के भट्ठे के पास से दो अभियुकक्त 1. बिलेन्दर कुमार (उम्र लगभग 28 वर्ष) पुत्र स्व0 भदवा भुईया निवासी बालूमाथ, थाना-बालूमाथ, जिला-लातेहार (झारखण्ड) तथा 2. विकास उराव (उम्र लगभग 25 वर्ष) पुत्र कुजूर उराव, निवासी-घाघरा, थाना-घाघरा, जिला-गुमला (झारखण्ड) को गिरफ्तार किया गया। जिनके पास से क्रमशः 30 लीटर व 25 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद हुई। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध क्रमशः थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 383/20, धारा - 60 एक्सा0 एक्ट व मु0अ0सं0 384/20, धारा- 60 एक्सा0 एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- बिलेन्दर कुमार पुत्र स्व0 भदवा भुईया निवासी बालूमाथ थाना बालूमाथ जिला लातेहार झारखण्ड उम्र लगभग 28 वर्ष।
- विकाश उराव पुत्र कुजूर उराव निवासी घाघरा थाना घाघरा जिला गुमला झारखण्ड उम्र लगभग 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

- कुल 55 लीटर अवैध कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- थानाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह, उ0नि0 सत्यप्रकाश सिंह, उ0नि0 अजय कुमार यादव, का0 विजय प्रताप यादव व का0 हृदेश कुमार थाना बड़ागाँव, जनपद वाराणसी।
- आबकारी टीम नि0 अभय कुमार सिंह, का0 श्रीगुरु प्रसाद श्रीवास्तव व का0 सचिन कुमार।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 185/ 2020 दिनांक: अगस्त, 31/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में लॉकडाऊन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व लॉकडाउन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 31-08-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 39 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *202 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1499 वाहनों का चालान, 07 वाहनों को सीज तथा 545 वाहनों से रु0-4,01,100/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में लॉकडाऊन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 31-08-2020 को जनपद वाराणसी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 1710 व्यक्तियों से रु0-1,04,150/- जुर्माना* जमा कराया गया।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी।